"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 106] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 मार्च 2013—फाल्गुन 28, शक 1934

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 मार्च, 2013 (फाल्गुन 28, 1934)

क्रमांक-4507/वि.स./विधान/2013.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में दण्ड विधि (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013) जो दिनांक 19 मार्च, 2013 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 13 सन् 2013)

दण्ड विधि (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2013

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45), दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-एक
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम दण्ड विधि (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अध्याय-दो
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का संशोधन

धारा 211 में परन्तुक का अंत:स्थापन.

2. भारतीय दण्ड संहिता 1860 (जो इसमें इसके पश्चात् दण्ड संहिता के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 211 में निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

परन्तु यह कि, यदि ऐसी दांडिक कार्यवाही धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 354ङ, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376च, धारा 509, धारा 509क या धारा 509ख से दंडनीय अपराध के मिथ्या आरोप पर संस्थित की जाए, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो तीन वर्ष से कम का नहीं होगा परंतु जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा.

धारा 354 में परन्तुक का अंत:स्थापन.

3. दण्ड संहिता की धारा 354 में निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाता है, अर्थात् :—

परन्तु यह कि जहां इस धारा के अंतर्गत अपराध किसी रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जिसका पीड़ित व्यक्ति से विश्वास आश्रित या प्राधिकारवान संबंध हों, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी एवं जुर्माने से भी दंडित किया जायेगा.

नवीन धारा 354ङ का अंत:स्थापन.

4. दण्ड संहिता की धारा 354घ के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

354ङ. **धारा 354, 354क, 354 ख, 354ग, 354घ के अंतर्गत अपराध कारित होने से रोकने में विफल रहने वाले व्यक्ति का दायित्व.**— जो कोई, धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग या धारा 354घ का अपराध कारित होते समय उपस्थित रहता है और ऐसे अपराध को कारित होने से रोकने की स्थिति में होते हुए भी ऐसे अपराध को कारित होने से रोकने में विफल रहता है या यदि वह अपराध को कारित होने से रोकने की स्थिति में नहीं है तो अपराधी को वैध दण्ड से बचाने के आशय से ऐसे किसी अपराध के कारित होने की सूचना किसी भी तरीके से निकटस्थ मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देने में विफल रहता है तो वह ऐसे अपरध के दुष्प्रेरण के लिए दायी होते हुए दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा.

5. दण्ड संहिता की धारा 376ङ के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :— **नवीन धारा 376च का अंत:स्थापन.**

376च. **कार्यस्थल के भारसाधक व्यक्ति एवं अन्य का अपराध की सूचना देने का दायित्व.**— जो कोई, किसी कार्यस्थल का भारसाधक व्यक्ति होते हुए या ऐसे स्थल में उपस्थित कोई अन्य व्यक्ति, जिसे यह ज्ञान हो कि धारा 376 या धारा 376घ के अधीन कोई अपराध ऐसे स्थल पर कारित हो रहा है तथा ऐसे किसी अपराध को कारित होने से रोकने की स्थिति में होते हुए ऐसे किसी अपराध को कारित होने से रोकने में अथवा अपराधी को वैध दण्ड से बचाने के आशय से ऐसे किसी अपराध के कारित होने की सूचना किसी भी तरीके से किसी भी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देने में विफल रहता है, वह ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दायी होते हुए दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी एवं जुर्माने के लिए दायी होगा और ऐसे व्यक्ति का, ऐसी सूचना देने पर कोई दायित्व उपगत नहीं होगा.

स्पष्टीकरण— कार्यस्थल में सम्मिलित है, स्त्री जिसके प्रति ऐसा अपराध कारित हुआ है, को कार्यस्थल से उसके निवास एवं निवास से कार्यस्थल तक आवागमन के लिए कार्यस्थल के भारसाधक व्यक्ति के स्वामित्व का, किराये पर या अन्यथा संलग्न परिवहन का कोई साधन.

6. दण्ड संहिता की धारा 509 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :— **नवीन धारा 509क एवं 509ख का अंत:स्थापन.**

509क. **नातेदार द्वारा यौन उत्पीड़न.**— जो कोई, स्त्री से रक्त, दत्तक या विवाह के माध्यम से संबंधित होते हुए, तथा उसका पति न होते हुए, शब्द, अंगविक्षेप अथवा कार्य द्वारा उसकी लज्जा का अनादर करने के आशय से अपनी निकटता का लाभ उठाता है, और ऐसी स्त्री को उत्प्रेरित करता है, विलुब्ध करता है या धमकी देता है, वह कठोर कारावास से जो एक वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा.

509ख. **इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा यौन उत्पीड़न.**— जो कोई, उत्पीड़न करने के आशय से या इस बात का ज्ञान होते हुए कि उससे स्त्री को उत्पीड़न होगा या क्षोभ या मानसिक पीड़ा कारित होगी, दूरसंचार यंत्र द्वारा या इंटरनेट को सम्मिलित करते हुए किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा कोई टिप्पणी, अनुरोध, सुझाव, प्रस्ताव, छवि बनाता है, सृजित करता है, याचना करता है या उसके पारेषण (संचरण) को प्रारंभ करता है या अन्य संचरण जो कि अश्लील, कामुक, वासनामूलक, गंदा या अभद्र हो, वह कठोर कारावास से दण्डित होगा जिसकी अवधि छ: माह से कम नहीं होगी किंतु जो दो वर्ष तक का हो सकेगा एवं जुर्माने के लिए भी दायी होगा.

अध्याय-तीन

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का संशोधन

7. दण्ड प्रक्रिया संहिता (जो इसमें इसके पश्चात् संहिता के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 154 की उप-धारा (1) के प्रथम परंतुक में, शब्द एवं अंक "धारा 354" के पश्चात् शब्द, अंक एवं विरामचिन्ह ", धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ," अंत:स्थापित किया जाए तथा शब्द एवं अंक "एवं धारा 509" के स्थान पर शब्द, अंक, अक्षर तथा विरामचिन्ह ", धारा 509, धारा 509क एवं धारा 509ख" प्रतिस्थापित किया जाए. **धारा 154 का संशोधन.**

8. संहिता की धारा 161 की उप-धारा (3) के द्वितीय परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :— **धारा 161 में परंतुक का प्रतिस्थापन.**

परंतु यह और कि स्त्री का कथन, जिसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 354ङ, धारा 375, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ, धारा 509, धारा 509क या धारा 509ख के अधीन अपराध कारित किये जाने या अपराध करने का प्रयास किये जाने का आरोप है, यथासंभव महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा तथा यथासंभव, ऑडियो-विडियो साधनों द्वारा भी रिकार्ड किया जाएगा और ऐसे पुलिस अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे सभी कदम उठाये जो स्त्री की पहचान की सुरक्षा हेतु आवश्यक हों.

धारा 164 का संशोधन. 9. संहिता की धारा 164 की उप-धारा (5क) के खण्ड (क) में, अंक एवं शब्द "या धारा 376ङ." के स्थान पर विरामचिन्ह, शब्द एवं अंक ", धारा 376ङ., धारा 376च, धारा 509, धारा 509क या धारा 509ख" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 164क का संशोधन. 10. संहिता की धारा 164क में, स्पष्टीकरण खण्ड को छोड़कर, जहां शब्द "पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी" प्रथम बार आया हो के स्थान पर, शब्द "महिला पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 309 का संशोधन. 11. संहिता की धारा 309 की उप-धारा (1) के परंतुक में, शब्द और अंक "376 से 376घ" के स्थान पर, शब्द, अंक एवं अक्षर "धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 354ङ., धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ., धारा 376च, धारा 509, धारा 509क या धारा 509ख" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 327 का संशोधन. 12. संहिता की धारा 327 की उप-धारा (2) में, शब्द, अंक और अक्षर "या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ या धारा 376ङ. के अधीन अपराध" के स्थान पर, शब्द, अंक, अक्षर और विरामचिन्ह ", स्त्री के यौन उत्पीड़न, उसके लज्जा भंग करने या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 354ङ., धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ., धारा 376च, धारा 509, धारा 509क या धारा 509ख के अधीन अपराध" प्रतिस्थापित किया जाए.

प्रथम अनुसूची का संशोधन. 13. संहिता की प्रथम अनुसूची में, शीर्षक "I—भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध" के अंतर्गत—

(क) धारा 211 से संबंधित प्रविष्टियों में, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

धारा	अपराध	दण्ड	संज्ञेय या असंज्ञेय	जमानतीय या अजमानतीय	किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
—	यदि आरोपित अपराध धारा 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ, 354ङ., 376ख, 376ग, 376च, 509, 509क या 509ख से दंडनीय है.	कारावास जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

(ख) धारा 354 से संबंधित प्रविष्टियों में, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

धारा	अपराध	दण्ड	संज्ञेय या असंज्ञेय	जमानतीय या अजमानतीय	किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
—	यदि स्त्री के नातेदार द्वारा कारित किया गया है.	कारावास जो 2 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

(ग) धारा 354घ से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

धारा	अपराध	दण्ड	संज्ञेय या असंज्ञेय	जमानतीय या अजमानतीय	किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
354ड.	उपस्थित व्यक्ति जो धारा 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ के अधीन अपराध कारित होने से रोकने में विफल रहता है, का दायित्व	3 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

(घ) धारा 376ड. से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

धारा	अपराध	दण्ड	संज्ञेय या असंज्ञेय	जमानतीय या अजमानतीय	किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
376च	किसी कार्य स्थल के भारसाधक व्यक्ति एवं अन्य का अपराध की सूचना देने का दायित्व	3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

(ड.) धारा 509 से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

धारा	अपराध	दण्ड	संज्ञेय या असंज्ञेय	जमानतीय या अजमानतीय	किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
509क	नातेदार द्वारा यौन उत्पीड़न.	कठोर कारावास जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
509ख	इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा यौन उत्पीड़न	कठोर कारावास जो 6 माह से कम का नहीं होगा किंतु जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

अध्याय-चार
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का संशोधन

नवीन धारा 114ख का अंत:स्थापन. 14. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114क के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

114ख. **भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 509 एवं 509क या 509ख के अधीन कारित अपराधों के संबंध में उपधारणा.**— जब प्रश्न यह है कि क्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 509, 509क या 509ख के अंतर्गत किसी व्यक्ति ने अपराध कारित किया है और यदि पीड़ित, न्यायालय के समक्ष यह कथन करती है कि उसका यौन उत्पीड़न हुआ या उसकी लज्जा भंग हुई अथवा उसके कपड़े उतारे गए अथवा उसका पीछा किया गया या उसकी निजता में हस्तक्षेप किया गया अथवा वह किन्हीं साधनों द्वारा यौन उत्पीड़ित की गई, यथास्थिति, वहां न्यायालय, जब तक कि विपरीत साबित न हो, तब तक यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसा अपराध उस व्यक्ति द्वारा कारित किया गया है.

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

महिलाओं के विरुद्ध अपराध समाज के लिए अत्यधिक चिन्ता का विषय है, कुछ अपराध विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार से कारित हो रहे हैं जिसमें चलित परिवहन यान भी सम्मिलित हैं. सामाजिक एवं आर्थिक विकास होने से अधिक से अधिक महिलाएं घर से बाहर होकर शैक्षणिक संस्थाओं और कार्यस्थल में उपस्थित हो रही हैं इसलिए ये लोक हित में आवश्यक है कि वे पीछा करने, यौन उत्पीड़न तथा शारीरिक हमले या अन्य तरीके के हमले से भय के बिना रहने में समर्थ हों. कुछ ऐसे विषयों के लिए, दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया है तथा प्रवृत्त किया गया है.

तथापि, यह गंभीरता से महसूस किया जा रहा है कि महिलाओं की गरिमा को संरक्षित करने के क्रम में कठोर प्रावधानों की आवश्यकता है; तथा प्रधान अध्यादेश (प्रेसीडेंशियल ऑरडिनेंस) के माध्यम से यथा संशोधित भारतीय दण्ड संहिता 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 के प्रावधान, निम्नलिखित में अपर्याप्त महसूस हो रहे हैं :

(क) नातेदार या उन व्यक्तियों, जिन पर पीड़ित विश्वास करती है, के द्वारा स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला किया जाता है, को दण्ड देने में,

(ख) यौन अपराध कारित होने के समय उपस्थित उन व्यक्तियों, जों अपराधी को बचाने के आशय से अपराध रोकने की स्थिति में रहते हुए रोकने में असमर्थ रहते हैं या अपराध की सूचना प्राधिकारियों को देने में विफल रहते हैं, को दण्ड देने में,

(ग) कार्यस्थल, जहां यौन अपराध कारित हुआ है, के भारसाधक व्यक्तियों जो अपराध कारित होने से रोकने या अपराध की सूचना देने में विफल रहते हैं, को दण्ड देने में,

(घ) उन नातेदार, जो स्त्री का यौन उत्पीड़न करते हैं, को दण्ड देने में,

(ङ) उन अपराधियों जो इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा स्त्री का यौन उत्पीड़न करते हैं, को दण्ड देने में,

(च) यह भी महसूस किया जा रहा है कि यौन उत्पीड़न के प्रकरण में पीड़ित का कथन यथासंभव, ऑडियो-वीडियो साधनों का प्रयोग कर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा यथासंभव, अभिलिखित किया जाना चाहिए,

(छ) यह भी महसूस किया जा रहा है कि पीड़ित का परीक्षण महिला चिकित्सा व्यवसायी द्वारा यथासंभव संपादित किया जाना चाहिए.

(ज) यौन उत्पीड़न तथा अपराधों से संबंधित विधि को अधिक प्रभावी बनाने के लिए न्यायहित में अपराधी के विरुद्ध उपधारणा करने संबंधी प्रावधान की भी आवश्यकता महसूस की जा रही है.

ऊपरिवर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय दण्ड संहिता, 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का संशोधन किया जाना आवश्यक है.

2. अतः, यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 19 फरवरी, 2013

ननकीराम कंवर
गृह मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

भारतीय दण्ड संहिता (1860 का अधिनियम संख्यांक 45) की विभिन्न धाराओं के सुसंगत उद्धरण :—

211 **क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप**—जो कोई किसी व्यक्ति को यह जानते हुए की उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही या आरोप के लिये कोई न्याय संगत या विधि पूर्ण आधार नहीं है, क्षतिकारित करने के आशय से उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई दाण्डिक कार्यवाही संस्थित करेगा, करवाएगा या उस व्यक्ति पर मिथ्या आरोप लगाएगा कि उसने अपराध किया है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 02 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जाएगा, तथा यदि ऐसी दाण्डिक कार्यवाही मृत्यु, आजीवन कारावास या 07 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराध के मिथ्या आरोप पर संस्थित की जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 07 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा.

354 **स्त्री की लज्जाभंग करने के आशय से उस पर हमला या अपराधिक बल का प्रयोग**—जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुये की तद्द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या अपराधिक बल का प्रयोग करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 02 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा.

दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश 2013 के संशोधन

धारा 354 में संशोधन—भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 में, शब्द "तो वह दोनों ही भांति के कारावास जिसकी अवधि 02 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जावेगा" के स्थान पर शब्द "तो वह दोनों ही भांति के कारावास जिसकी अवधि 01 वर्ष की होगी किंतु 05 वर्ष तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा तथा जुर्माने के लिए भी दायी होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

नवीन धारा 354-क, 354-ख, 354-ग एवं 354-घ का अंतःस्थापन

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

354 क **यौन प्रताड़ना एवं यौन प्रताड़ना के लिये दण्ड**—

(1) निम्नलिखित कृत्य या व्यवहार यौन प्रताड़ना का अपराध होगा :—

(i) शारीरिक संपर्क एवं अग्रसर होने की कोशिश जिसमें की अप्रिय एवं सुस्पष्ट यौन संबंधी प्रस्ताव संलिप्त है; अथवा

(ii) यौन संबंधी समर्थन हेतु मांग या निवेदन; अथवा

(iii) यौन संबंधी टिप्पणी करना; अथवा

(iv) जबरदस्ती पोर्नोग्राफी दिखाना; अथवा

(v) कोई अन्य प्रकार का शारीरिक, मौखिक अथवा अमौखिक आचरण जो कि अप्रिय रूप से यौन प्रकृति का हो.

(2) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के खण्ड (एक) या खण्ड (दो) में विनिर्दिष्ट अपराध कारित करता है तो वह कठोर कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा अथवा जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा.

(3) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के खण्ड (तीन) या खण्ड (चार) या खण्ड (पांच) में विनिर्दिष्ट अपराध कारित करता है तो वह दोनों ही भांति के कारावास जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा.

354 ख **किसी महिला पर कपड़े उतारने के आशय से हमला करना अथवा अपराधिक बल का उपयोग करना**—कोई भी व्यक्ति जो किसी महिला को कपड़े उतारने (निर्वस्त्र करने) के आशय से या मजबूरन सार्वजनिक जगह में निर्वस्त्र करने के आशय से उस पर हमला या अपराधिक बल प्रयोग करता है अथवा दुष्प्रेरण करता है तो वह दोनों ही भांति के कारवास जिसकी अवधि 03 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा, तथा जुर्माने से दण्डित किया जायेगा.

354 ग **दृश्यरतिकता**—कोई भी व्यक्ति जो किसी महिला को निजी कृत्य में लिप्त होते हुये देखता है अथवा उसकी छवि कैद करता है, ऐसी परिस्थितियों में जब उस महिला की यह सामान्य अपेक्षा है कि उसे कृत्य करने वाले व्यक्ति द्वारा अथवा उसके द्वारा आदेशित किसी व्यक्ति द्वारा अवलोकित नहीं किया जाये, तो ऐसे व्यक्ति को प्रथम बार दोषसिद्ध होने पर वह दोनों ही भांति के कारावास जिसकी अवधि 01 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 03 वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माने के लिए भी दायी होगा, से दण्डित किया जायेगा तथा दूसरी बार दोषसिद्ध होने पर एवं उसके पश्चात् क्रमवार दोषसिद्ध होने पर वह दोनों ही भांति के कारावस जिसकी अवधि 03 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 07 वर्ष तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा तथा जुर्माने के लिए भी दायी होगा.

स्पष्टीकरण 1 :—इस धारा के प्रयोजन हेतु "निजीकृत्य में" उस स्थान पर देखने का कृत्य सम्मिलित है जो परिस्थितियों के अनुसार वाजिब तौर पर निजता प्रदान करने हेतु अपेक्षित है और जहां पर पीड़िता के जननांग, खुले अथवा वक्ष उजागर हो अथवा मात्र जांगिये से ढके हुये है अथवा पीड़िता शौच स्थान का उपयोग कर रही है अथवा व्यक्ति द्वारा ऐसा यौन कृत्य किया जा रहा है जो कि आमतौर पर आमजन के सामने नहीं किया जाता है.

स्पष्टीकरण 2 :—जहां पर पीड़िता अपनी छवि अथवा किसी कृत्य को कैद किये जाने की सहमति देती है, परन्तु उसका खुलासा तृतीय व्यक्ति के समक्ष करने की सहमति नहीं देती है और जहां पर इस तरह की छवि और अथवा कृत्य का खुलासा किया जाता है, तो ऐसे खुलासे को इस धारा के अन्तर्गत अपराध माना जायेगा.

354 घ (1) **पीछा करना :**— कोई भी व्यक्ति जो किसी का पीछा करता है और उससे संपर्क करता है अथवा उससे संपर्क करने की कोशिश करता है तथा उससे व्यक्तिगत व्यवहार के लिये लगातार संपर्क करता है जबकि उसको स्पष्ट रूप से यह मालूम है कि उक्त व्यक्ति की इस हेतु कोई रुचि नहीं है अथवा किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट का उपयोग कर ऐसे व्यक्ति पर नजर रखना अथवा निगरानी की जा रही हो एवं साथ ही ई-मेल द्वारा अथवा किसी इलेक्ट्रानिक साधन द्वारा अथवा दृष्टव्य साधनों से उस व्यक्ति की जासूसी इस तरह की जा रही है, जो कि परिणामत: ऐसे व्यक्ति के लिये अत्यंत सतर्कता का व्यवहार अथवा मानसिक त्रास या हिंसा के डर को निर्मित करता है या ऐसे व्यक्ति की मानसिक शांति में हस्तक्षेप कारित करता है तो वह पीछा करने संबंधी अपराध कारित करने का अपराध करता है.

परंतु ऐसा आचरण पीछा करने संबंधी अपराध के समान नहीं होगा जब ऐसा करने वाले व्यक्ति के आचरण में निम्नानुसार दर्शित होता है कि—

(एक) यह कि, वह पीछा करने के अपराध एवं अपराधी व्यक्ति को रोकने अथवा अपराध का पता लगाने के प्रयोजन के अनुसरण में किया था, राज्य द्वारा यह कार्य सौंपा गया है कि वह ऐसे अपराध को रोके या ऐसे अपराध का पता लगावे; अथवा

(दो) यह कि किसी विधि के अन्तर्गत ऐसा अनुसरण किया जाये या किसी व्यक्ति द्वारा किसी विधि के अन्तर्गत अधिरोपित आवश्यक शर्तों एवं अपेक्षाओं के पालन हेतु ऐसा किया गया था;

(तीन) यह कि, विशेष परिस्थितियों में ऐसा आचरण किया जाना युक्तियुक्त है;

(2) कोई भी व्यक्ति जो पीछा करने संबंधी अपराध कारित करता है तो वह दोनों ही भांति के कारावास जो एक वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा तथा जुर्माने के लिए भी दायी होगा.

376 **यौन हमले हेतु दण्ड—**

(1) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (2) में दिये गये मामलों के अलावा, यौन हमलाकारित करता है तो वह दोनों ही भांति के कठोर कारावास जिसकी अवधि 07 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो उम्र कैद तक का हो सकेगा से दण्डित किया जायेगा और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा,

(2) जो भी व्यक्ति :—

(क) पुलिस अधिकारी होते हुये यौन हमला कारित करता है और जो कि,

(i) पुलिस थाने की सीमा के अन्दर है, जिस पर पुलिस अधिकारी नियुक्त है अथवा

(ii) किसी स्टेशन हाऊस के परिसर में, अथवा

(iii) ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में जो व्यक्ति है अथवा ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है, अथवा

(ख) लोक सेवक होते हुये किसी व्यक्ति पर यौन हमला कारित करता है जो कि ऐसे लोक सेवक की अभिरक्षा में अथवा ऐसे लोक सेवक के अधीनस्थ की अभिरक्षा में, अथवा

(ग) सशस्त्र सेना का सदस्य होते हुये और जो कि उस क्षेत्र में केन्द्र अथवा राज्य शासन के द्वारा तैनाती पर हो और यौन हमला करता हो, अथवा

(घ) जेल के प्रबंधन में हो अथवा स्टाफ में हो, रिमाण्ड होम में हो तथा अन्य अभिरक्षा के स्थान जो कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अन्तर्गत स्थापित किये गये हों अथवा महिलाओं, बच्चों के संस्थानों में हो और जेल, रिमाण्ड होम, स्थान या संस्था में रहने वालों पर यौन हमला कारित करता हो, अथवा

(ङ) अस्पताल के प्रबंधन या स्टाफ में होकर अस्पताल में किसी व्यक्ति पर यौन हमला कारित करता हो, अथवा

(च) उस व्यक्ति पर यौन हमला कारित करता हो, जिसका कि वह रिश्तेदार/पालक अथवा शिक्षक हो. अथवा जो व्यक्ति उसके विश्वास की स्थिति में हो और जिस पर वह अधिकार रखता हो, अथवा

(छ) किसी महिला पर यौन हमला कारित करता है यह जानते हुये भी कि वह गर्भवती है, अथवा

(ज) किसी व्यक्ति पर यौन हमला कारित करता है जब ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है, अथवा

(झ) यौन हमला उस व्यक्ति पर कारित करता है, जो अपनी सहमति देने में असक्षम है, अथवा

(ञ) आर्थिक एवं सामाजिक रूप से प्रभावी स्थिति में रहते हुये अपने से निचले स्तर की स्थिति वाले व्यक्ति पर यौन हमला कारित करता है, अथवा

(ट) ऐसे व्यक्ति पर हमला कारित करना जो मानसिक एवं शारीरिक विकलांगता से पीड़ित हो, अथवा

(ठ) यौन हमला कारित करते वक्त दु:खद शारीरिक क्षति अथवा लंगड़ा-लूला बनाना अथवा विरूपण करना या व्यक्ति की जान को खतरे में डालना, अथवा

(ड) लगातार यौन हमला कारित करना, तो ऐसे व्यक्ति को कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो उम्र कैद तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा एवं वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा.

स्पष्टीकरण-1 इस धारा के प्रयोजन हेतु :—

(क) "महिला एवं बच्चों के संस्थान" से अभिप्रेत है वह संस्था जिसे कि अनाथालय अथवा परित्यक्त महिलाओं अथवा बच्चों अथवा विधवा आश्रम अथवा कोई संस्था जो किसी और नाम से जानी जाती हों, जिसकी की स्थापना एवं रख-रखाव बच्चों एवं महिलाओं की देखभाल के लिये की गई है.

(ख) "अस्पताल" से अभिप्रेत है अस्पताल के परिसर (आहते) एवं इसमें किसी भी संस्था के वे परिसर सम्मिलित हैं जो कि लोगों की बीमारी एवं लोगों की चिकित्सीय देखभाल या पुनर्वास के लिये स्थापित है.

(ग) "पुलिस अधिकारी" से अभिप्रेत है, पुलिस एक्ट 1861 (5 सन् 1861) के अन्तर्गत दी गई अभिव्यक्ति "पुलिस".

(घ) "सशस्त्र सेना" से अभिप्रेत है, थल सेना, नौ सेना और वायु सेना एवं इसमें अन्य सशस्त्र सेनाओं के सदस्य भी सम्मिलित हैं जो कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अन्तर्गत बनाई गई है, जिसमें की पैरा मिलेट्री फोर्स (अर्द्ध सैनिक बल) एवं कोई ऑक्जीलरी फोर्स सम्मिलित है, जो कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण के अन्तर्गत है.

स्पष्टीकरण-2 जहां किसी व्यक्ति पर, एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह के रूप में उनके समान आशय के क्रम में, यौन हमला कारित हुआ हो, वहां इस समूह के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत यौन हमला कारित किया गया समझा जायेगा.

376 क **मृत्यु कारित करने पर अथवा पीड़ित को लगातार मानसिक निष्क्रियता की दशा तक पहुंचा देने पर दण्ड**— कोई भी जो धारा 376 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित करता है तथा ऐसा अपराध करने के दौरान इस तरह के चोट पहुंचाता है जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है अथवा व्यक्ति लगातार मानसिक निष्क्रियता की दशा तक पहुंच जाता है तो वह कठोर कारावास जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो उम्र कैद तक का हो सकेगा और जिसका मतलब उसके बाकी के प्राकृतिक जीवन से है अथवा मृत्यु, से दण्डित किया जायेगा.

376 ख **अलग-अलग रहने के दौरान पत्नी पर पति द्वारा यौन हमला**—कोई भी व्यक्ति जो अपनी स्वयं की पत्नी पर यौन हमला कारित करता है जो कि किसी अलग करने के आदेश के अन्तर्गत अलग से रह रही है अथवा किसी रीति रिवाज के अनुसार अलग रह रही है और उस पर पति द्वारा यौन हमला बिना उसकी सहमति के किया जाता है तो वह दोनों ही भांति के कारावास जिसकी अवधि 02 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 07 वर्ष तक का हो सकेगा से दण्डित किया जायेगा और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा.

376 ग **किसी पद पर रहते हुये किसी व्यक्ति द्वारा संभोग**— जो कोई भी—

(क) पद पर एक हैसियत पर रहते हुये अथवा न्यासीय संबंध रखते हुये, अथवा

(ख) एक लोक सेवक, अथवा

(ग) जेल, रिमाण्ड होम अथवा अन्य अभिरक्षा के स्थान जो कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अन्तर्गत स्थापित किये गये हों अथवा महिलाओं एवं बच्चों के संस्थान के अधीक्षक या मैनेजर, अथवा

(घ) **किसी अस्पताल के प्रबंधन या अस्पताल के स्टाफ होते हुये**—किसी व्यक्ति को प्रेरित करके अथवा पद भ्रष्ट करके नियासी संबंध या अपने पद की स्थिति का दुरुपयोग करते हुये किसी व्यक्ति को जो कि उपरोक्त वर्णित व्यक्ति की अभिरक्षा में हो अथवा उपरोक्त वर्णित व्यक्ति अन्तर्गत चार्ज में हों या परिसर में उपस्थित हो और ऐसे व्यक्ति के साथ संभोग किया जाता है तो ऐसा संभोग यौन हमले के अपराध के सम्य है तो वह दोनों ही भांति के कठोर कारावास जो 05 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा तथा वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा.

स्पष्टीकरण-1 :— इस धारा में "यौन संभोग" का तात्पर्य धारा 375 की कंडिका (क) से लेकर (ग) तक में वर्णित सभी कृत्य से है.

स्पष्टीकरण-2 :— इस धारा के प्रयोजन हेतु धारा 375 के स्पष्टीकरण 1 व 2 भी लागू होंगे.

स्पष्टीकरण-3 :— जेल, रिमाण्ड होम या अभिरक्षा के अन्य स्थान या महिला व बच्चों के संस्थान के संबंध में "अधीक्षक" में वह व्यक्ति सम्मिलित होंगे जो जेल रिमाण्ड होम स्थान अथवा संस्थान के किसी अन्य कार्यालय में पदस्थ हैं और जिसके कारण ऐसे व्यक्ति किसी प्रकार का प्राधिकार का प्रयोग या नियंत्रण इनमें रहने वाले लोगों पर रखते हों.

स्पष्टीकरण-4 :— अभिव्यक्ति "अस्पताल" एवं "महिलाओं व बच्चों के संस्थान" क्रमशः रूप से वहीं अर्थ रखेंगे जैसा कि धारा 376 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 1 में दिया गया है.

376 घ **दल या टोली द्वारा यौन हमला**—जहां पर किसी व्यक्ति पर यौन हमला एक या एक से अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा एक समान आशय से किया जाता है तो उस दल के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से यौन हमले का अपराध कारित करने वाला माना जायेगा, चाहें वह किसी भी लिंग का हो एवं वह कठोर कारावास जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो उम्र कैद तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा तथा उनके द्वारा पीड़ित को मुआवजा का भुगतान कराया जायेगा जो कि उस पीड़ित के चिकित्सकीय खर्च एवं पुनर्वास के खर्च वहन करने हेतु युक्तियुक्त होगा.

स्पष्टीकरण :— इस धारा के प्रयोजन हेतु उम्र कैद का तात्पर्य उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन के बाकी समय की अवधि के कारावास से है.

376 ड. **बार-बार अपराध करने वालों के लिये दण्ड**—जो भी व्यक्ति धारा 376 या धारा 376-क या धारा 376-ग अथवा धारा 376-घ के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये पूर्व में दोषसिद्ध हुआ है एवं क्रमवार रूप से उक्त धाराओं में से किसी भी धारा के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये दोषसिद्ध हुआ है तो वह उम्र कैद से दण्डित किया जायेगा, जिसका मतलब उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन की अवधि से अथवा मृत्यु से होगा.

509 **शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिये आशयित हैं :**—जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाये या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाये अथवा ऐसी स्त्री की एकांतता का अतिक्रमण करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 01 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा.

दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश, 2013 के द्वारा धारा 509 का संशोधन :—द.सं.प्र. की धारा 509 में शब्द "को साधारण कारावास के द्वारा दंडित किया जायेगा एवं जिसकी अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है अथवा जुर्माना किया जा सकता है या दोनों ही" के स्थान पर शब्द "को सादा कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, से दंडित किया जायेगा एवं जुर्माने के लिएं भी दायी होगा," प्रतिस्थापित किया जाये.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की विभिन्न धाराओं के सुसंगत उद्धरण

154 **संज्ञेय मामलों में इत्तिला :—**

(1) संज्ञेय अपराध के किये जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध कर ली जायेगी और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जायेगी और प्रत्येक ऐसी इत्तिला पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो,

उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे, जो उसे दे और उसका सार ऐसी पुस्तक में, जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जायेगी, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, प्रविष्ट किया जायेगा.

(2) उप धारा-1 के अधीन अभिलिखित इत्तिला की प्रतिलिपि, इत्तिला देने वाले को तत्काल नि:शुल्क दी जायेगी.

(3) कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के उप-धारा (1) में निर्दिष्ट इत्तिला को अभिलिखित करने से इंकार करने से व्यथित है, ऐसी इत्तिला के सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबद्ध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है जो यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी इत्तिला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति में अन्वेषण किये जाने का निर्देश देगा और उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी.

दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश, 2013 के द्वारा धारा 154 का संशोधन :— द.प्र.संहिता की धारा 154 में उप-धारा 1 में निम्नलिखित प्रावधान अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

परंतु यह की यदि सूचना उस महिला के द्वारा दी जाती है जिसके विरुद्ध धारा 326-क, धारा 326-ख, धारा 354, धारा 375, धारा-376, धारा-376-क, धारा 376-ख, धारा 376-ग, धारा 376-घ, धारा 376-ड. व धारा 509 के अन्तर्गत अपराध कारित किया गया है अथवा आरोपित रूप से कारित करने का प्रयास किया गया है तब ऐसी जानकारी व आसूचना रिकार्ड की जावेगी और जहां तक संभव हो यह किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाये तथा ऐसी महिला को विधिक सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा साथ ही हेल्थ केयर वर्कर अथवा महिला संगठनों या दोनों का सहयोग प्रदान किया जायेगा.

परंतु यह कि :—

(क) ऐसी स्थिति में जब किसी व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 354, धारा 354-क, धारा 354 ख, धारा 354-ग, धारा 354-घ, धारा 376 की उपधारा (1) अथवा उपधारा (2), धारा 376-क, धारा 376-ख, धारा 376-ग, धारा 376-घ, धारा 376-ड. भा.द.सं. (1860 का 45) के अन्तर्गत अपराध कारित किया गया हो अथवा उसका प्रयास किया गया हो और वह अस्थायी अथवा स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है तो ऐसी सूचना पुलिस अधिकारी द्वारा रिकार्ड की जायेगी और जो कि रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के घर पर अथवा कोई सुविधाजनक स्थान पर उस व्यक्ति के चुनाव अनुसार एक स्पेशल एज्यूकेटर अथवा अनुवादक की उपस्थिति में किया जायेगा.

(ख) ऐसी सूचना की रिकार्डिंग की वीडियोग्राफी की जायेगी.

(ग) पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति के कथन को यथाशीघ्र संभव धारा 164 के उप धारा (5क) की खण्ड (क) के अन्तर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकार्ड कराया जायेगा.

161 **पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा :—**

(1) कोई पुलिस अधिकारी जो अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है या ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी, जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का नहीं है जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित विहित करे, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है.

(2) ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप या शास्ति या समपहरण की आशंका से डालने की है ऐसे मामले में संबंधित उन सब प्रश्नों का सही सही उत्तर देने के लिये आबद्ध होगा जो ऐसा अधिकारी उससे पूछता है.

(3) पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किये गये किसी भी कथन को लेखबद्ध कर सकता है और यदि वह ऐसा करता है तो वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन का पृथक और सही अभिलेख बनायेगा, जिसका कथन वह अभिलिखित करता है.

परन्तु इस उपधारा के अधीन किया गया बयान भी आडियो-वीडियो इलेक्ट्रानिक उपकरणों द्वारा अभिलिखित किया जा सकता है.

दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश, 2013 के द्वारा धारा 161 का संशोधन :— द.प्र.संहिता की धारा 161 में उपधारा (3) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

परंतु यह कि, उस महिला के कथन जिसके विरुद्ध धारा 354, धारा 354-क, धारा 354-ख, धारा 354-ग, धारा 354-घ, धारा 375, धारा 376, धारा 376-क, धारा 376-ख, धारा 376-ग, धारा 376-घ, धारा 376-ड. व धारा 509 भा.द.सं. (1860 का 45) के अन्तर्गत अपराध कारित किया गया है अथवा अपराध कारित करने का प्रयास किया गया है तब ऐसा कथन यथासंभव किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा रिकार्ड किया जायेगा.

164 **संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना :—**

(1) कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे उसे मामले में अधिकारिता हो या न हो, इस अध्याय के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात् जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व किसी समय अपने से की गई किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है.

परन्तु इस उपधारा के तहत की गई संस्वीकृति या बयान भी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की मौजूदगी में आडियो-विडियो इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा अभिलिखित किया जा सकता है.

परन्तु कोई भी संस्वीकृति उस पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित नहीं की जावेगी जिस पर मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रदत्त की गई हो.

(2) मजिस्ट्रेट किसी ऐसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने के पूर्व उस व्यक्ति को, जो संस्वीकृति कर रहा है यह समझायेगा कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिये आबद्ध नहीं है और यदि वह उसे करेगा तो वह उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है और मजिस्ट्रेट कोई ऐसी संस्वीकृति तब तक अभिलिखित न करेगा जब तक उसे करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर उसको यह विश्वास करने का कारण न हो कि वह स्वेच्छा से की जा रही हों.

(3) संस्वीकृति अभिलिखित किये जाने के पूर्व यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने वाला व्यक्ति यह कथन करता है कि वह संस्वीकृति करने का इच्छुक नहीं है तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा.

(4) ऐसी संस्वीकृति किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा को अभिलिखित करने के लिये धारा 281 में उपबंधित रीति से अभिलिखित की जायेगी और संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किये जायेंगे और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के नीचे निम्नलिखित भाव का एक ज्ञापन लिखेगा :—

मैंने-(नाम) को यह समझा दिया है कि वह संस्वीकृति करने के लिये आबंद्ध नहीं है और यदि वह ऐसा करता है तो कोई संस्वीकृति, जो वह करेगा, उसके विरुद्ध साक्ष्य में भी उपयोग में लाई जा सकती है और मुझे विश्वास है कि यह संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई है. यह मेरी उपस्थिति में और मेरे सुनते हुये लिखी गई है और जिस व्यक्ति ने यह संस्वीकृति की है उसे यह पढ़कर सुना दी गई है और उसने उसका सही होना स्वीकार किया है और उसके द्वारा किये गये कथन का पूरा और सहीं वृतांत इसमें है.

(हस्ताक्षर) क. ख.
मजिस्ट्रेट

(5) उपधारा (1) के अधीन की गई (संस्वीकृति से भिन्न) कोई कथन साक्ष्य अभिलिखित करने के लिये इसमें इसके पश्चात् उपबंधित ऐसी रीति से अभिलिखित किया जायेगा जो मजिस्ट्रेट की राय में, मामले की परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त हों तथा मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया जाता है.

(6) इस धारा के अधीन किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट उसे उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, जिसके द्वारा मामले की जांच या विचारण किया जाना है.

दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश, 2013 के द्वारा धारा 164 का संशोधन :— भा.दं.प्र.संहिता की धारा 164 में उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

धारा 5 (क) :—

(क) धारा 354, धारा 354-क, धारा 354-ख, धारा 354-ग की उपधारा (2), धारा 376 की उपधारा (1) अथवा उपधारा (2), धारा 376-क, धारा 376-ख, धारा 376-ग, धारा 376-घ, धारा 376-ड. भा.द.सं. (1860 का 45) के अन्तर्गत दंडनीय प्रकरणों में न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उस व्यक्ति का कथन रिकार्ड किया जायेगा, जिस व्यक्ति के विरुद्ध यह अपराध कारित हुआ है एवं यह उपधारा (5) में निर्देशित तरीके से किया जावेगा तथा यथाशीघ्र पुलिस के ध्यान में इस अपराध को लाया जायेगा.

परंतु यह की कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से शारीरिक या मानसिक रूप से अशक्त है तो मजिस्ट्रेट को कथन रिकार्ड करने हेतु स्पेशल एज्यूकेटर अथवा अनुवादक का सहयोग लेना चाहिये.

परंतु और यह कि यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से अशक्त है तो कथन करने वाले व्यक्ति का स्पेशल एज्यूकेटर अथवा अनुवादक के सहयोग के साथ किये गये कथन की वीडियोग्राफी की जायेगी.

(ख) व्यक्ति जो ऐसे स्थायी या अस्थायी रूप से शारीरिक या मानसिक रूप से अशक्त हैं का खण्ड (क) के अधीन कथन, मुख्य परीक्षण की एवज का कथन माना जावेगा, जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 137 में निर्देशित है और ऐसा कथन करने वाले का ऐसे कथन पर प्रतिपरीक्षण किया जा सकता है तथा विचारण के समय उसकी रिकार्डिंग की आवश्यकता नहीं होगी.

164क **बलात्संग से पीड़ित महिला का चिकित्सीय परीक्षण—**

(1) जहां ऐसे प्रक्रम के दौरान जब बलात्संग या बलात्संग करने का प्रयत्न करने के अपराध का अन्वेषण किया जा रहा है उस स्त्री के शरीर की, जिसके साथ बलात्संग किया जाना या करने का प्रयत्न करना अभिकथित है, किसी चिकित्सा विशेषज्ञ से परीक्षा कराना प्रस्थापित है वहां ऐसी परीक्षा, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाये जा रहे किसी अस्पताल में नियोजित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, और ऐसे व्यवसायी की अनुपस्थिति में किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, ऐसी स्त्री की सहमति से या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिये सक्षम व्यक्ति की सहमति से की जाएगी और ऐसी स्त्री को ऐसा अपराध किये जाने से संबंधित इत्तिला प्राप्त होने के समय से 24 घंटे के भीतर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के पास भेजा जाएगा.

(2) वह रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जिसके पास ऐसी स्त्री भेजी जाती है, बिना किसी विलंब के, उसके शरीर की परीक्षा करेगा और एक परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दिये जाएंगे, अर्थात् :—

(i) स्त्री का और उस व्यक्ति का, जो उसे लाया है, नाम और पता;

(ii) स्त्री की आयु;

(iii) डी.एन.ए. प्रोफाईल करने के लिये स्त्री के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन;

(iv) स्त्री के शरीर पर क्षति के, यदि कोई हैं, चिन्ह;

(v) स्त्री की साधारण मानसिक दशा; और

(vi) उचित ब्यौरे सहित अन्य तात्विक विशिष्टियां;

(3) रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अभिलिखित किए जाएंगे जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है.

(4) रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिलिखित किया जाएगा कि क्या ऐसी परीक्षा के लिये स्त्री की सहमति या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिये सक्षम व्यक्ति की सहमति, अभिप्राप्त कर ली गई है.

(5) परीक्षा प्रारंभ और समाप्त करने का सही समय भी रिपोर्ट में अंकित किया जाएगा.

(6) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, बिना विलंब के, रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को, उस धारा की उप-धारा (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के रूप में भेजेगा.

(7) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह स्त्री की सहमति के बिना या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिये सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी परीक्षा को विधिमान्य बनाती है.

स्पष्टीकरण :— इस धारा के प्रयोजनों के लिये "परीक्षा" और "रजिस्ट्रकृत चिकित्सा व्यवसायी" के वही अर्थ है जो उनके धारा 53 में है.

309 **कार्यवाही को मुल्तवी या स्थगित करने की शक्ति :—**

(1) प्रत्येक जांच या विचारण में कार्यवाही यथासंभव शीघ्रता से की जायेगी और विशिष्टत: जब साक्षियों की परीक्षा एक बार आरंभ हो जाती है तो वह सभी हाजिर साक्षियों की परीक्षा हो जाने तक दिन-प्रतिदिन जारी रखी जायेगी, जब तक की ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जायेंगे, न्यायालय अगले दिन से परे के लिये उसे स्थगित करना आवश्यक न समझे.

(परंतु जब जांच या विचारण भा.द.सं. की धाराओं 376 से 376-घ के अधीन अपराध से संबंधित हों, तो जांच या विचारण, यथाशक्य संभव, गवाहों की परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर पूर्ण किया जायेगा.)

(2) यदि न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान करने या विचारण के प्रारंभ होने के पश्चात् यह आवश्यक या उचित समझता है कि किसी जांच या विचारण का प्रारंभ करना मुल्तवी कर दिया जाये या उसे स्थगित कर दिया जाये तो वह, समय-समय पर ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जाएंगे, ऐसे निबंधनों पर, जैसे वह ठीक समझे, उतने समय के लिये जितना वह उचित समझे, उसे मुल्तवी या स्थगित कर सकता है और यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो उसे वारण्ट द्वारा प्रतिप्रेषित कर सकता है :

परंतु कोई मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को इस धारा के अधीन एक समय में पन्द्रह दिन से अधिक की अवधि के लिये अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित नहीं करेगा :

परंतु यह और कि जब साक्षी हाजिर हो तब उसकी परीक्षा किये बिना स्थगन या मुल्तवी करने की मंजूरी विशेष कारणों के बिना, जो लेखबद्ध किये जायेंगे, नहीं दी जाएगी.

(परंतु यह भी कोई स्थगन इस प्रयोजन के लिये मंजूर नहीं किया जाएगा कि वह अभियुक्त व्यक्ति को उस पर अधिरोपित किये जाने के लिए प्रस्थापित दण्डादेश के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने में समर्थ बनाए.)

[परंतु यह भी कि—

(क) पक्षकार के निवेदन पर कोई भी स्थगन प्रदान नहीं किया जायेगा, सिवाय जहां परिस्थितियां उस पक्षकार के नियंत्रण से परे हो,

(ख) तथ्य की पक्षकार का प्लीडर दूसरे न्यायालय में व्यस्त है, स्थगन का आधार नहीं होगा,

(ग) जहां गवाह न्यायालय में मौजूद हों लेकिन पक्षकार या उसका प्लीडर मौजूद नहीं हो या उसका प्लीडर, यद्यपि न्यायालय में मौजूद हो, उस गवाह की परीक्षा या प्रति-परीक्षा करने के लिये तैयार नहीं हो, वहां न्यायालय, यदि यह ठीक समझे, गवाह के बयान अभिलिखित कर सकता है और गवाह की मुख्य-परीक्षा या प्रति-परीक्षा, यथास्थिति, को विचारित करते हुये ऐसे आदेश पारित कर सकता है, **जिसे वह ठीक समझे.]**

स्पष्टीकरण-1 :— यदि यह संदेह करने के लिये पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है कि हो सकता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है और यह संभाव्य प्रतीत होता है कि प्रतिप्रेषण करने पर अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है तो यह प्रतिप्रेषण के लिये एक उचित कारण होगा.

स्पष्टीकरण-2 :— जिन निर्बन्धनों पर कोई स्थगन या मुल्तवी करना मंजूर किया जा सकता है उनके अन्तर्गत समुचित मामलों में अभियोजन या अभियुक्त द्वारा खर्चों का दिया जाना भी है.

327 **न्यायालयों का खुला होना :—**

(1) वह स्थान, जिसमें कोई दण्ड न्यायालय किसी अपराध की जांच या विचारण के प्रयोजन से बैठता है, खुला न्यायालय समझा जायेगा, जिसमें जनता साधारणतः प्रवेश कर सकेगी जहां तक की सुविधापूर्वक वे उसमें समा सकें :

परन्तु यदि पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो वह किसी विशिष्ट मामले की जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में आदेश दे सकता है कि जनसाधारण या कोई विशेष व्यक्ति उस कमरें या भवन में, जो न्यायालय द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है, न तो प्रवेश करेगा, न होगा और न रहेगा.

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, भा.दं.सं. (1860 का 45) की धारा 376, धारा 376-क, धारा 376-ख, धारा 376-ग, धारा 376-घ के अंतर्गत अपराध की जांच या विचारण बंद कमरे में किया जाएगा :

परंतु पीठासीन न्यायाधीश, यदि उचित समझे, या दोनों में से किसी पक्षकार के आवेदन पर, किसी व्यक्ति विशेष को, न्यायालय द्वारा उपयोग में लाये जा रहे कमरे या भवन में प्रवेश, या उसमें होने या बने रहने की अनुज्ञा दे सकेगा.

(परंतु यह और कि कैमरा ट्रायल का संचालन, जहां तक साध्य हो, महिला न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी.)

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई कार्यवाही की जाती है वहां किसी व्यक्ति के लिये किसी ऐसी कार्यवाही के संबंध में किसी बात को न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना, मुद्रण या प्रकाशन करना विधिसंगत नहीं होगा.

(परंतु बलात्कार के अपराध के संबंध में विचारण कार्यवाहियों के मुद्रण या प्रकाशन पर प्रतिबंध पक्षकारों के नाम व पते की गोपनीयता बनाये रखते हुये रखा जा सकता है.)

दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश, 2013 के द्वारा धारा 327 का संशोधन :— दं.प्र.संहिता की धारा 327 में उपधारा (2) में शब्द, अंक व अक्षर "बलात्कार का विचारण अथवा भा. द. सं. की धारा 376, धारा 376-क, धारा 376-ख, धारा 376-ग या धारा 376-घ के अन्तर्गत अपराध के स्थान पर, शब्द, अंक एवं अक्षर "यौन हमले का विचारण अथवा भा.द.सं. की धारा 376, धारा 376-क, धारा 376-ख, धारा 376-ग, धारा 376-घ अथवा धारा 376-ड. के अन्तर्गत किये गये अपराध" प्रतिस्थापित किया जाये.

प्रथम अनुसूची :—

धारा	अपराध	दण्ड	संज्ञेय या असंज्ञेय	जमानतीय या अजमानतीय	किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
211	क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप.	02 वर्ष के लिये कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
	यदि आरोपित अपराध 07 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है.	07 वर्ष के लिये कारावास और जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	यदि आरोपित अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है.	07 वर्ष के लिये कारावास और जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	सत्र न्यायालय
354	स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या अपराधिक बल का प्रयोग.	01 वर्ष के लिये कारावास जो कि 05 वर्ष तक का हो सकता है एवं जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई भी मजिस्ट्रेट
354-क	1- यौन उत्पीड़न जिसकी की प्रकृति अप्रिय शारीरिक संपर्क एवं उस हेतु अग्रसर होना अथवा यौन समर्थन की मांग या निवेदन.	कारावास जो 05 वर्ष तक का हो सकता है अथवा जुर्माने या दोनों ही	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई भी मजिस्ट्रेट
	2- यौन उत्पीड़न जो कि इस प्रकृति का हो जैसे— यौन संबंधी टिप्पणियां अथवा पोर्नोग्राफी दिखाना अथवा कोई अन्य अप्रिय शारीरिक मौखिक अथवा अमौखिक यौन प्रकृति का आचरण.	कारवास जो 01 वर्ष तक का हो सकता है अथवा जुर्माने या दोनों ही	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई भी मजिस्ट्रेट
354-ख	किसी महिला के कपड़े उतारने (निर्वस्त्र करने) के आशय से उस पर हमला करना अथवा अपराधिक बल का उपयोग करना.	कम से कम 03 वर्ष का कारावास किंतु जो 07 वर्ष तक का हो सकता है एवं जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई भी मजिस्ट्रेट
354-ग	दृश्यरतीगता	प्रथम बार दोषसिद्धी पर कम से कम 01 वर्ष का कारावास किंतु जो 03 वर्ष तक का हो सकता है एवं जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई भी मजिस्ट्रेट
		दूसरी बार या आगे के दोषसिद्धी होने पर कम से कम 03 वर्ष का कारावास किंतु जो 07 वर्ष तक का हो सकता है एवं जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई भी मजिस्ट्रेट
354-घ	पीछा करना	कम से कम 01 वर्ष का कारावास किंतु जो 03 वर्ष तक का हो सकता है एवं जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई भी मजिस्ट्रेट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
376	1- यौन हमला	कम से कम 07 वर्ष का सश्रम कारावास किंतु जो उम्र कैद तक का हो सकता है एवं जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सत्र न्यायालय
	2- किसी पुलिस अधिकारी अथवा लोक सेवक अथवा सशस्त्र सेना के सदस्य के द्वारा, प्रबंधन के किसी व्यक्ति, जेल का स्टाफ, रिमांड होम अथवा अन्य स्थान जो कि अभिरक्षा में हो अथवा महिला या बच्चों के संस्थान के द्वारा यौन हमला अथवा प्रबंधन के किसी व्यक्ति द्वारा, प्रबंधन के स्टाफ, अस्पताल के प्रबंधन एवं किसी व्यक्ति द्वारा यौन हमला जो किसी विश्वास की स्थिति में हो अथवा पद पर हो एवं उस व्यक्ति पर उसकी जिम्मेदारी बनती हों के द्वारा उस पर यौन हमला अथवा किसी करीबी रिश्तेदार द्वारा व्यक्ति पर यौन हमला.	कम से कम 07 वर्ष का सश्रम कारावास परंतु जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है एवं साथ में जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सत्र न्यायालय
376-क	वह व्यक्ति जो कि यौन हमले का अपराध कारित करता है एवं ऐसी चोट पहुंचाता है जिसके कारण मृत्यु हो जाती है अथवा व्यक्ति को लगातार निष्क्रिय दशा में पहुंचा देता है.	कम से कम 20 वर्ष का सश्रम कारावास किंतु जो उम्र कैद तक का हो सकता है जिसका मतलब उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन के समय से होगा अथवा मृत्यु से	संज्ञेय	अजमानतीय	सत्र न्यायालय
376-ख	अलग-अलग रहने के दौरान पत्नी पर पति द्वारा यौन हमला.	कम से कम 02 वर्ष का कारावास किंतु जो 07 वर्ष तक का हो सकता है एवं जुर्माना	संज्ञेय (परंतु पीड़ित की शिकायत पर ही)	अजामनतीय	सत्र न्यायालय
376-ग	पद पर पदस्थ व्यक्ति द्वारा यौन संभोग	कम से कम 05 वर्ष का सश्रम कारावास किंतु जो 10 वर्ष तक का हो सकता है एवं जुर्माना	संज्ञेय	अजामनतीय	सत्र न्यायालय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
376-घ	टोली द्वारा यौन हमला	कम से कम 20 वर्ष का सश्रम कारावास परंतु किंतु जो उम्र कैद तक का हो सकता है एवं जिसका मतलब व्यक्ति के बाकी के प्राकृतिक जीवन के समय से है एवं पीड़ित के लिये मुआवजा	संज्ञेय	अजामनतीय	सत्र न्यायालय
376-ड.	बार-बार अपराध की पुनरावृत्ति करने वाले	उम्र कैद जिसका मतलब व्यक्ति की प्राकृतिक जीवन के बकाया समय से है अथवा मृत्यु से	संज्ञेय	अजामनतीय	सत्र न्यायालय
509	स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहना या कोई अंग विक्षेप करना आदि.	03 वर्ष के लिये सादा कारावास एवं जुर्माना (दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश 2013 द्वारा संशोधित)	संज्ञेय	जामनतीय	कोई मजिस्ट्रेट

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (1872 का 01) की विभिन्न धाराओं के सुसंगत उद्धरण

114 **न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा :—** न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा, जिसका घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण तथा लोक और प्रायवेट कारबार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुये यह संभाव्य समझाता है.

114-क **यौन हमले हेतु कतिपय अभियोजन में सहमति के अभाव के संबंध में उपधारणा :—** भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 की उप-धारा (2) के खण्ड-क, खण्ड-ख, खण्ड-ग, खण्ड-घ, खण्ड-ड., खण्ड-च, खण्ड-छ, खण्ड-ज, खण्ड-झ, खण्ड-ञ, खण्ड-ट, खण्ड-ठ अथवा खण्ड-ड के अभियोजन में जहां आरोपी द्वारा यौन संभोग सिद्ध हो गया है एवं प्रश्न यह है कि क्या वह अन्य व्यक्ति जिस पर यौन हमला किया गया था, की सहमति के बिना किया गया था और ऐसा अन्य व्यक्ति साक्ष्य में न्यायालय के समक्ष कथन करता है कि ऐसे व्यक्ति ने सहमति नहीं दी, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने सहमति नहीं दी थी.

स्पष्टीकरण :— इस धारा में यौन संभोग का तात्पर्य भा.द.सं. की धारा 375 के खण्ड (क) से (ग) में वर्णित किसी भी कृत्य से होगा.

नोट :— दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश 2013 के प्रावधानों का अधिकारिक हिन्दी अनुवाद अप्राप्त होने के कारण उपलब्ध हिन्दी अनुवाद के आधार पर उद्धरण दिये गये हैं.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.